

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-124/18-19

(1)

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

शशिकान्त संगी

- विक्रेता

निकोलस गुड़िया

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर											
1808.18	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक शशिकान्त संगी पिता सुशील संगी ग्राम घुनसुली, थाना करी, जिला खूँटी ने निकोलस गुड़िया पिता जोहन गुड़िया ग्राम घुनसुली, थाना करी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="332 703 1383 800"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>घुनसुली</td> <td>121</td> <td>43</td> <td>750</td> <td>0.18½</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए खतियान/आवासीय प्रमाणपत्र/जाति प्रमाणपत्र एवं लगान की रसीद सं० 1487569888 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, करी के पत्रांक 631 दिनांक 18.08.18 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम नरसींह मुण्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार नरसींह मुण्डा वगैरह के नाम भूमि का रकबा 41.69 एकड़ है। आवेदक के पास रकबा 2.65 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2016-17 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 6500.00(छः हजार पाँच सौ)रु० प्रति डिसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष 2.47 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना करी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, करी ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, करी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण शशिकान्त संगी पिता सुशील संगी को निकोलस गुड़िया पिता जोहन गुड़िया के साथ ग्राम घुनसुली के खाता सं० 43 खेसरा संख्या 750 का रकबा 0.18½ एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 6500.00(छः हजार पाँच सौ)रुपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, करी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: right;">भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p>		ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	घुनसुली	121	43	750	0.18½
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)								
घुनसुली	121	43	750	0.18½								